-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 18.02.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- ❖ **आपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप वर्ष-2017 में थाना बबेरू क्षेत्र में महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई 10 वर्ष के कठोर कारावास व 14 हजार रुपये जुर्मानें की सजा।**

विवरण– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान **"आपरेशन कन्विक्शन"** के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2017 में थाना बबेरू क्षेत्र अन्तर्गत एक गांव की महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 14 हजार रूपए जुर्माने से दण्डित कराया गया। गौरतलब हो कि दिनांक 07.05.2017 को थाना बबेरू क्षेत्र अन्तर्गत एक गांव की रहने वाली महिला द्वारा दिनांक 02.04.2017 को स्वयं के साथ दुष्कर्म की घटना के सम्बन्ध में सूचना दी थी। सूचना पर थाना बबेरू पर मु0अ0सं0 140/2017 धारा 342/376/506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना **उ0नि0 श्री रितेश कुमार** द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था। लोक अभियोजक **श्री मनोज कुमार दीक्षित व श्री रामकुमार सिंह** द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही **कोर्ट मोहर्रिर महिला आरक्षी पुनीति भदौरिया तथा पैरोकार आरक्षी चक्रधारी** के अथक प्रयासों से अभियुक्त को **मा0 न्यायालय ASJ/FTC-I बांदा द्वारा 10 वर्ष के कठोर कारावास व 14 हजार रुपये** के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

अभियुक्त-

1. मेड़ेलाल पुत्र गूंगा उर्फ केशराज निवासी सांतर थाना बबेरू जनपद बांदा।

अभियोजक
श्री मनोज कुमार दीक्षित

अभियोजक
श्री रामकुमार सिंह

विवेचक
उ0नि0 श्री रितेश कुमार

कोर्ट मोहर्रिर
म0आ0 पुनीति भदौरिया

पैरोकार
आ0 चक्रधारी